भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1605
दिनांक 29 जुलाई, 2025/ 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

निजी सहायकों को प्रवेश न देना

†1605. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि व्यापक जाँच पड़ताल के बावजूद सांसदों के निजी सहायकों को उनके वैध संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु विभिन्न मंत्रालयों और केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रायः प्रवेश नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार यह मानती है कि सांसदों के अधिकृत कर्मचारियों को प्रवेश से बार-बार वंचित रखने से निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्य करने, पत्रों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने, अधिकारियों के साथ समन्वय करने और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की क्षमता पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या मंत्रालय का सभी मंत्रालयों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त समर्पित विशेष पहचान पत्र, जो मानक सुरक्षा जांच के अधीन आधिकारिक कार्यों के लिए सांसदों के निजी सहायकों को बिना किसी परेशानी के प्रवेश की स्वीकृति देता है, डिजाइन करने और जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) गृह मंत्रालय सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को इस नयाचार का कड़ाई से पालन करने के लिए स्पष्ट निर्देश कब तक जारी करेगा और भविष्य में मनमाने ढ़ग से प्रवेश को वर्जित करने से रोकने के लिए कौन से जबावदेही/उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): संसद सदस्यों (MPs) को गृह मंत्रालय के सचिवालय सुरक्षा संगठन की सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उनके पहचान पत्रों के आधार पर सरकारी भवनों में निर्बाध प्रवेश की सुविधा प्राप्त है। संसद सदस्यों के निजी सहायकों को ऐसे सरकारी भवनों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु स्वागत अधिकारी

(Reception Officers) द्वारा विज़िटर पास जारी किए जाते हैं। संसद सदस्यों के पी.ए. को अलग प्रकार के पास जारी करने या उनके मौजूदा पास को ऐसे सरकारी भवनों में निर्बाध प्रवेश के लिए मान्य करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****